

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 214434 पटना, दिनांक 31-12-2014

ग्रा0वि0- अनु0को0- 78/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,  
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
सभी उप विकास आयुक्त,  
बिहार ।

विषय:- सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत बेसलाईन सर्वेक्षण के संबंध में ।

प्रसंग:- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-J- 10012/03/2014 दिनांक-  
18.12.2014 एवं विभागीय पत्रांक- 213871 दिनांक- 24.12.2014 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशित किया गया है कि 20 जनवरी 2015 तक सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चयनित सभी आदर्श ग्राम पंचायत में बेसलाईन सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करते हुए इसे [www.saanjhi.gov.in](http://www.saanjhi.gov.in) पर अपलोड किया जाना है ।

दिनांक 29.12.2014 को आयोजित सांसद आदर्श ग्राम योजना से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला में सभी प्रभारी पदाधिकारियों (Charge Officers) को इस संबंध में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया गया है । संदर्भ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस प्रयोजन हेतु दिए गए प्रस्तुतीकरण को पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है जो कराये जाने वाले बेसलाईन सर्वेक्षण में सहायक होगी ।

चूँकि सर्वेक्षण के कार्य को पूर्ण करने हेतु लगभग एक पक्ष का समय ही शेष रह गया है, अतः जिलों को निदेश दिया जाता है कि पर्याप्त संख्या में सर्वेक्षण टीम गठित कर ले ताकि निर्धारित समय सीमा के अंदर बेसलाईन सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण किया जा सके । कृपया सांसद आदर्श ग्राम योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 12 (घ) का संदर्भ लिया जाय, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जिला पदाधिकारी, प्रधानमंत्री ग्राम विकास फेलो (PMRDF) और (NRLM) के जिला मिशन प्रबंधक अगर जिले में तैनात हैं, को सक्रियतापूर्वक इस योजना में शामिल करेंगे। इस आलोक में जिलों को निदेशित किया जाता है कि सभी जिला पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिलों में जीविका के अंतर्गत कार्यरत जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) को सक्रियतापूर्वक सांसद आदर्श ग्राम योजना से संबंधित सभी कार्यों

में शामिल करेंगे साथ ही IAP जिलों में जीविका के DPM के साथ-साथ PMRDF को भी सक्रियतापूर्वक इस कार्य में शामिल करेंगे।

बेसलाईन सर्वेक्षण कार्य का अनुश्रवण सप्ताहिक रूप से विभाग द्वारा किया जायेगा। सर्वेक्षण से संबंधित सप्ताहिक प्रतिवेदन संलग्न किये गये विहित प्रपत्र में भरकर e-mail-ID misrddbihar@gmail.com पर निश्चित रूप से भेजा जाय । इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए एवं शंकाओं के समाधान के लिए श्री चिन्तन राज, PMRDF, को दूरभाष सं0-9162172220, श्री राजेन्द्र कुमार पाठक, को दूरभाष सं0- 8986913382 STOT सदस्य एवं श्री मृणाल सत्यार्थी, को दूरभाष सं0- 8986913383, STOT सदस्य पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र में वर्णित दिशानिर्देश के अनुसार सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी (Charge Officer) को अपने स्तर से निदेशित करेंगे कि सभी संबंधित से समन्वय स्थापित करते हुए सभी चयनित ग्राम पंचायतों में बेसलाईन सर्वेक्षण का कार्य दिनांक- 12.01.2015 तक पूर्ण करा लिया जाय साथ ही विभाग को भी सर्वेक्षण की एक प्रति उपलब्ध करायी जाय।

#### अनु0- यथोक्त ।

| जिला का नाम | चयनित आदर्श पंचायत का नाम | प्रभारी पदाधिकारी (Charge Officer) का नाम | प्रभारी पदाधिकारी (Charge Officer) का मोबाइल नंबर | प्रभारी पदाधिकारी (Charge Officer) का email id | प्रपत्र 1 - पारिवारिक सर्वेक्षण |                                       | प्रपत्र 2 - राजस्व ग्राम का प्रतिवेदन |  | प्रपत्र 3 - ग्राम पंचायत का प्रतिवेदन भरा गया है / नहीं भरा गया है |
|-------------|---------------------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|             |                           |   |   |  | कुल परिवार                      | सर्वेक्षित किये गए परिवारों की संख्या | कुल राजस्व ग्राम                      | कितने राजस्व ग्राम का प्रतिवेदन भर लिया गया है |  |
| 1           | 2                         | 3   | 4   | 5  | 6                               | 7                                     | 8                                     | 9  | 10   |

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राज)

सचिव

जापांक 214434

पटना, दिनांक 31-12-2014

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जीविका-सह-मिशन, निदेशक, NRLM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव